♦ प्रेस नोट ♦
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 22.04.2026

थाना घोरावल पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 23.70 ग्राम हेरोइन (अनुमानित कीमत लगभग ₹03 लाख) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार □

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) श्री ऋषभ रुणवाल एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोरावल पुलिस द्वारा दिनांक 21.04.2026 को सघन चेकिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक 21.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना घोरावल पुलिस टीम द्वारा मुंगेहरी नहर पुलिया से लगभग 01 कि.मी. आगे तिलौली जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर बिना नंबर प्लेट की एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 23.70 ग्राम अवैध हेरोइन,नकद ₹1300/- तथा 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे हेरोइन को खरीदकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर विभिन्न स्थानों पर बिक्री करते थे। इस संबंध में थाना घोरावल पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया तथा बरामद मोटरसाइकिल को कागजात न होने के कारण सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त

01.अंकित कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल, निवासी खुडिया थाना करमा जनपद सोनभद्र।

02.अंकित पटेल पुत्र चन्द्रभान पटेल, निवासी पुरखास थाना करमा जनपद सोनभद्र।

अपराधिक इतिहास

01.अंकित कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल

मु0अ0सं0 15/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर।

बरामदगी का विवरण

* 23.70 ग्राम अवैध हेरोइन (अनुमानित कीमत ₹03 लाख)
* नकद ₹1300/-
* 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन
* 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

01.प्र0नि0 बृजेश सिंह, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र

02.उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र

03.उ0नि0 अवधेश खरवार, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र

04.हे0का0 राज सिंह राणा, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र

05.हे0का0 महताब खां, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र

06.हे0का0 संजय सिंह यादव (चालक), थाना घोरावल जनपद सोनभद्र

जनपद पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाती रहेगी।